

फर्द अहकाम

(नियम 28)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, जैतारण (पाली)

फूलाराम

बनाम

तहसीलदार

किस्म मुकदमा :- राजस्व वाद, नम्बर :- 340/2015

श्रीख
हुकम

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर व
तारीख
अहकाम जो
हक हुकम
की तामील
में जारी हुए

09.07.215

वकील वादी उपस्थित।

राज्य सरकार द्वारा आयोजित राजस्व लोक अदालत केम्प अटल सेवा केन्द्र-चावण्डियाकलां में पत्रावली पेश हुई। वादी ने दावा अन्तर्गत धारा 88 RT Act. के तहत पेश किया। वादी का दावा दर्ज रजिस्टर हो। वादी ने निवेदन किया कि मौजा-चावण्डियाकलां में स्थित कृषि भूमि ख.नं. 213 कुल किता 01 कुल रकबा 06-14 बीघा में बीजीया पुत्र पूसा हरिजन दर्ज हैं। वास्तविक नाम महेन्द्रकुमार पुत्र पुखराज हैं। सबूत में वादी मूलाराम ने पहचान-पत्र, राशनकार्ड की छाया प्रतियां पेश की हैं। वादी ने दावा डिक्री करने का निवेदन किया है।

राजस्व लोक अदालत में मजमा-ए-आम में जानकारी प्राप्त की गई। मौजा-चावण्डियाकलां में स्थित कृषि भूमि ख.नं. 213 कुल किता 01 कुल रकबा 06-14 बीघा में वादी का नाम बीजीया पुत्र पूसा हरिजन दर्ज हैं जबकि सबूत के आधार पर महेन्द्रकुमार पुत्र पुखराज बखूबी साबित हैं। वाद के समर्थन में पहचान-पत्र, राशनकार्ड की छाया प्रतियां पेश की हैं। बीजीया पुत्र पूसा हरिजन के स्थान पर महेन्द्रकुमार पुत्र पुखराज को खातेदार काश्तकार घोषित करना उचित समझते हैं।

अतः डिक्री बहक वादी विरुद्ध प्रतिवादी इस अगर की सादिर की जाती हैं कि मौजा-चावण्डियाकलां में स्थित कृषि भूमि ख.नं. 213 कुल किता 01 कुल रकबा 06-14 बीघा भूमि में बीजीया पुत्र पूसा हरिजन के स्थान पर महेन्द्रकुमार पुत्र पुखराज को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तदनुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किया जावे। डिक्री पर्चा पृथक से बनाया जाकर सामिल गिसल किया जावे। डिक्री पर्चा की प्रति तहसीलदार, जैतारण को भेजकर पालना मंगवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ला पत्रावली दाखिल दफ्तर/लेख्य भण्डार जमा हो।


SDO

डिक्री बमुकदमें इत्तादाई

(ओ 21 रुल 6,7 जाब्ता दीवानी)

अदालत :- उपखण्ड अधिकारी, मुकाम:- जैतारण

मालास :- श्री घनश्याम शर्मा , आर0ए0एस0

पक्षी :- बनाम प्रतिवादी :-

गहेन्द्रकुमार पुत्र पुखराज
जाति-हरिजन,
निवासी-चावण्डियाकलां
तहसील-जैतारण, जिला-पाली
(राज.)

तहसीलार जैतारण

राजस्व वाद बाबत घोषणा, व स्थाई

मु0न0 :रा0वा0 स0: 340/2015

निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 88

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

यह मुकदमा आज वारते ईनफिसाल कतई रुबरु-..... व हाजरी स्वयं वादी गिनजानिब मुद्धई व प्रतिवादी गिनजानिब मुद्धायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि डिक्री बहक वादी विरुद्ध प्रतिवादी इस अमर की सादिर की जाती हैं कि मौजा-चावण्डियाकलां में स्थित कृषि भूमि ख.नं. 213 कुल किता 01 कुल रकबा 06-14 बीघा भूमि में बीजीया पुत्र पूसा हरिजन के स्थान पर गहेन्द्रकुमार पुत्र पुखराज खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता हैं। तदनुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किया जावें। डिक्री पर्चा की प्रति तहसीलदार, जैतारण को भेजकर पालना गंगवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकगील जाब्ता पत्रावली दाखिल दपतर/लेख्य भण्डार जमा हो।

बीज-.....मुबलिक.....-.....बाबत.....-.....खर्चा इस मुकदमें मय रूद व शहर-.....फीस रदी सालाना आज की तारीख वसूल याबी तक-.....को अदा करें।

बसिब्त मेरे दस्तखत व मोहर लोक अदालत / केम्प कोर्ट शिविर अटल सेवा केंद्र चावण्डियाकलां में आज तारीख 09/07/2015 को जारी किया गया ।



उपखण्ड अधिकारी, जैतारण
(जिला-पाली)

	रुपये	पैसे	मुद्धायलाह	रुपये	पैसे
मुद्धई			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वकालतनामा			महनताना वकील		
स्टाम्प वजह सबूत			खर्चा गवाहान		
महनताना वकील			फीस कमीशनर		
खर्चा गवाहान			बाबत ईजराय हुक्मनामा		
फीस कमीशनर			मुत्फरिक		
बाबत ईजराय हुक्मनामा					

गिजान:-

गिजान:-

नोट:- इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा यह हो फरीकेन को चाहे डिक्री के जरिए दिलाया गया हो, नहीं दर्ज किया जावें ।